न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/426

1. श्रीमती पुष्पा बाई विधवा पत्नी डालू जाति रेगर निवासी रेगर मोहल्ला ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमती सावित्री धर्मपत्नी श्री किशोर जाति रेगर निवासी रेलवे स्टेशन के पास भैसोंदा मण्डी (मध्यप्रदेश) ।
3. श्रीमती बसन्ती धर्मपत्नी श्री चम्पा लाल जाति रेगर निवासी जावरा फाटक के पास रतलाम (मध्यप्रदेश) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गंगा देवी विधवा पत्नी कस्तूर चन्द जाति रेगर ।
2. प्रेमचन्द आत्मज श्री कस्तूर चन्द जाति रेगर ।
3. प्रदीप कुमार आत्मज श्री कस्तूर चन्द जाति रेगर ।
4. प्रमोद कुमार आत्मज श्री कस्तूर चन्द जाति रेगर निवासीगण ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
5. श्रीमती अनिता धर्मप त्नी श्री रविन्द्र कुमार आर्य जाति रेगर निवासी जोधपुर जिला जोधपुर।
6. श्रीमती सुनिता धर्मपत्नी धर्मेन्द्र कुमार जाति रेगर निवासी डीसीएम कोटा ।
7. श्रीमती बबिता धर्मपत्नी श्री राकेश कुमार जाति रेगर निवासी डिग्गी मालपुरा जिला टोंक ।
8. श्रीमती सीता बाई पुत्री कस्तूर चन्द पत्नी जाति रेगर निवासी महावीर कॉलोनी बून्दी ।
9. श्रीमती गीता बाई पत्नी राजू लाल जाति रेगर निवासी सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर ।
10. बाबूलाल आत्मज रामचन्द्र जाति रेगर निवासी रामदेव जी के मंदिर के पास कोटडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
11. दी स्टेट ऑफ राजस्थान ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी मृतक कस्तूर चन्द ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 27 मिन रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 122 व 123 रकबा 0.84 हैक्टर व 0.26 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीण वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान नहीं करे और न ही उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करे तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.04.2012 के द्वारा पक्षकारान के सहमति के आधार पर वादग्रस्त आराजी की ताफैसला वाद रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.04.2012 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण्ण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अनपढ महिला है तो अपने सुसराल रहती है । अपीलान्ट क्रम 1 के पति एंव अपीलान्ट क्रम 2 व 3 के पिता श्री डालू ने इस प्रकरण के बाबत् कभी भी अपीलान्ट को नही बताया । अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तथा सूचना दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.08.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त आदेश पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा इसलिए उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र आदि प्राप्त किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो स्पीकिंग आदेश नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 2005 (1) आरएलडब्ल्यू पेज 131, 2003 (4) आरएलडब्ल्यू (एससी) पेज 509 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा जवाब प्रार्थना पत्र आदि प्राप्त किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में 2005 (1) आरएलडब्ल्यू पेज 131 का न्यायिक दृष्टांत चस्पा होता है हम उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य, जवाब प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा